उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक– 1357 / 411 (2021) / अधियाचन / 2021–22 दिनांक 16/08/ 2021

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

शासनादेश संख्या–7/2019/3/4/86–का–2/2019 दिनांक 04 दिसम्बर 2019 के पैरा–3 (4) में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त समस्त अभ्यर्थियों को स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा दिये जाने के विषय पर यह प्रावधान है कि **"शैक्षणिक योग्यता, अंक, आयु या अन्य ऐसे प्रतिबन्ध के मानदण्ड स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक के लिए निर्धारित नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्तरीक्षक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा के दौरान नकल करने और धोखा देने जैसे कार्य करने वाले स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक का उपयोग अभ्यर्थी न करें।"**

विज्ञापन वर्ष 2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/प्रवक्ता के लिए जारी प्रवेश–पत्र के पैरा 13 एवं केन्द्र व्यवस्थापक को भेज गये निर्देश के पैरा 11(5) में श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट वर्ष 2019 के पूर्व की नहीं होने का उल्लेख किया गया है, शासन द्वारा जारी उक्त निर्देश के अनुपालन में यह शौक्षणिक प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।

शासनादेश की उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु यह सूचना समस्त केन्द्र व्यवस्थापक एवं विकलांगजन अभ्यर्थियों के लिए चयन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट http://www.upsessb.org पर प्रकाशित है।

भवदीय

16-08-2021

(नवल किशोर)
उपसचिव/परीक्षा नियन्त्रक
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।

पृ0सं0: 1361 / 421 (2021)/अधियाचन /2021–22 तद्‌दिनांक – 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. ममस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

16-08-2021

(नवल किशोर)
उपसचिव/परीक्षा नियन्त्रक
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।